न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—150/2018/223 (2018/00150)

1. रामनिवास पुत्र लादू माली,
2. फूलचंद पुत्र काना माली,
3. विश्राम पुत्र सुवालाल माली,
4. मुकेश पुत्र सुवालाल माली,
5. मंगलचंद पुत्र रामदयाल माली,
6. प्रभूलाल पुत्र रामदयाल माली,
7. तेजमल पुत्र रामदयाल, जाति माली,
8. गणेश पुत्र रतनलाल, जाति माली,
9. बोदूलाल पुत्र रतनलाल जाति माली,
10. सुखराम उर्फ पप्पू पुत्र सुवालाल माली,
समस्त जाति माली, निवास मालियों की बाड़ी, किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. बिरदीचंद पुत्र रामलाल, जाति माली,
2. शंकरलाल पुत्र रामलाल, जाति माली,
3. जगदीश पुत्र रामलाल, जाति माली,
4. बुद्धकरण पुत्र रामलाल, जाति माली,
समस्त निवासी मालियों की बाड़ी, किशनगढ़, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

5. राजू पुत्र गोपाल माली, नि0 मालियों की बाड़ी, किशनगढ़, जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 24.4.2018 अंतर्गत वाद संख्या 49/2005.

उपस्थितः—

1. श्री इंद्रेश रामचंदानी, वकील अपीलांटस।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 3 व 4.
3. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 27.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955

के तहत पेश कर निवेदन किया कि पटवार क्षेत्र किशनगढ़, तहसील व जिला अजमेर के खसरा संख्या 2333 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा भूमि के उत्तर–पूर्व हिस्से में वादीगण बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है । उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक, हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 29.6.2005 को जबरन उपरोक्त भूमि में से रास्ता निकालने के लिये आमादा हो गए । अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.2018 को वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । खसरा संख्या 2333 के वादीगण के अतिरिक्त छीतर, श्रीकिशन पुत्र नौरत 1/2 हिस्से के सह खातेदार, काबिज काश्तकार है । खसरा संख्या 2333 के उत्तर दिशा में सींव से 25 फीट चौड़ा रास्ता जो पूर्व तक जाकर आगे दक्षिण दिशा में घुमाव खाकर जाता है, अवस्थित है । यह रास्ता 5 दशक पुराना होकर ग्रामवासियों के उपयोग उपभोग में आ रहा है । उक्त खसरा नंबर 2333 के दक्षिणी सीमा पर विधायक कोष से हैण्डपंप तथा गांवाई जनसहयोग से श्री श्री 108 श्री गिरधारी दास महाराज का आश्रम बना हुआ है जिसमें वादीगण ने भी सहयोग किया है । उक्त आश्रम का मुख्य एवं एकमात्र दरवाजा खसरा संख्या 2333 में उल्लेखित रास्ते पर पश्चिम दिशा में देखता हुआ है । अपीलांटस एवं अन्य ग्रामवासी उक्त रास्ते में आवागमन करते है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निस्तारण की संख्या अधिकतम दर्शाने के दृष्टिकोण से वास्तविक तथ्यों से परे जाकर सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिन प्रकरणों में पक्षकरान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया हो किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ था बल्कि अपीलांटस/प्रतिवादीगण ने दिनांक 24.4.2018 को उपस्थित होकर आगामी तारीख पेशी दिये जाने का निवेदन किया था। दिनांक 24.4.2018 को कैम्प में न तो निर्णय लिखा गया था, न ही मजमें आम में निर्णय सुनाया गया था । यदि कोई भी निर्णय पक्षकारान की उपस्थिति में लिखा जाता है तो सामान्यतः अंतिम पृष्ठ पर पक्षकारान के हस्ताक्षर कराये जाते है । अधी0न्याया0 द्वारा 6 पृष्ठों का निर्णय लिखाया गया है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रशासनिक कार्यवाहियां की गई थी । ऐसी स्थिति में दिनांक 24.4.2018 को 6 पृष्ठ का निर्णय का डिक्टेशन दिया जाना संभव नहीं था । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा मृत व्यक्ति प्रतिवादी संख्या 1 हरजी पुत्र लादू के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जबकि अधी0न्याया0 को मजमे आम में प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी हो चुकी थी। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के खिलाफ होने से भी निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वादी की साक्ष्य भी नहीं ली थी इसके बावजूद बिना वादी की साक्ष्य लिये वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने किसी भी साक्ष्य को प्रदर्श भी नहीं किया है। अधी0न्याया0 के समक्ष वादी द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से वाद खारिज योग्य था । बहस में आगे कथन किया

कि अधी0न्याया0 ने राज0काश्त0अधि0 की धारा 211 के प्रावधानों को भी दृष्टिगत नहीं किया है । योग्य अधी0न्याया0 के समक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रमाण था कि वाद अधीन भूमि खसरा नंबर 2333 के प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 के अतिरिक्त अन्य भी 1/2 हिस्से के सहखातेदार काबिज काश्तकार है जिन्हें वादी ने वाद में पक्षकार कायम नहीं किया जिससे भी वाद संधारण योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 का अवधारण करने में त्रुटि कारित की है । वाद विधिक रूप से संस्थित नहीं किया गया था तो उसके रहते हुए वांछित अनुतोष के अधीन प्रार्थना पत्र संधारणीय नही था । विशेषतः ऐसी स्थिति में जब सिविल न्यायालय में लंबित वाद में दिनांक 9.8.2007 को न्यायालय कमिश्नर द्वारा मौके पर खसरा संख्या 2333 के उत्तर दिशा में रास्ता होने एवं उक्त रास्ता पूर्व दिशा से घुमाव खाकर दक्षिण दिशा में जाना प्रमाणित था जो आज भी मौके पर प्रचलित है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअदांज कर वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 139, सुप्रीमकोर्ट 1969 पेज 255 एवं डी0एन0जे0 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 376 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य, सुनवाई एवं जवाब का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित की है । विवादित आराजी खसरा नंबर 2333 रकबा 18–4–00 बीघा आराजी रेस्पो0 की सहखातेदारी की आराजी है जिसके उत्तर–पूर्वी हिस्से पर आपसी समझौते अनुसार रेस्पो0 काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त भूमि में अपीलांटस के कोई हक, अधिकार एवं स्वत्व निहित नहीं है न ही विवादित आराजियात से कोई संबंध व सरोकार है । अपीलांटस जबरन विवादित आराजियात से रास्ता निकालने पर आमादा है । सिलोरा से किशनगढ़ खसरा नंबर 2338, 2336, 2337 जो मुख्य रास्ता गमन करता है उक्त रास्ते से किशनगढ़ शहर में रास्ता जाता है जिसके खसरा नंबर 2358, 2448, 2451 से होता हुआ पुनः सिलोरा–किशनगढ़ मुख्य मार्ग के खसरा नंबर 2338 में निहित हो जाता है । उक्त रास्ते के खसरा नबर 2451 व 2448 से लगते हुए वर्तमान अपीलांटस की खातेदारी की आराजियात है । उक्त मार्ग से ही अपीलांटस एवं इनके पूर्वज सदियों से आते जाते रहे है अन्य कोई सार्वजनिक मार्ग स्थित नही है । आज दिनांक तक रेस्पो0 की सहखातेदारी की भूमि में से होकर कभी भी कोई रास्ता रिकार्ड अथवा मौके पर नहीं है । रेस्पो0 द्वारा उक्त आराजियात में अपने पक्के मकान बना रखे है एवं अपने अराध्य देव का निजी आश्रम बना रखा है जिससे अपने घर से आश्रम तक एवं आपसी समझौते से बटे हुए खेतों पर जाने के लिये निजी रास्ते बना रखे है जो सार्वजनिक नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस द्वारा रास्ते बाबत् प्रकरण सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आज दिनांक कोई स्थगन आदेश जारी नहीं हुआ है । सिविल न्यायालय के प्रकरण का हवाला देकर यह कथन करना कि सिविल न्याया0 में वाद विचाराधीन है जिससे अपीलांटस को पाबंद नहीं किया गया जा सकता है किया गया कथन गलत है । प्रतिवादी की मृत्यु बाबत् स्वंय प्रतिवादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई सूचना नहीं दी गई एवं मृतक प्रतिवादी की ओर से लगातार पैरवी की जाती रही है जिससे अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय शून्य की परिभाषा में नहीं आता है । अधी0न्याया0 का निर्णय व

डिक्री विधिसम्मत् है । जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । अपीलांटस का कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में निर्णित किया गया तथा अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया है । प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा जवाबदावा पेश किये जाने के उपरांत अधी0न्याया0 ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम की है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये किन्तु अपीलांटस द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर दो बार अंतिम अवसर प्रदान किये गये इसके बावजूद अपीलांटस द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई है । इसलिये अपीलांटस का यह कथन कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, किया गया कथन उचित प्रतीत नही होता है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण करते हुए लोक अदालीत में मजमें आम में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा लोक अदालत में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया गया है । अधी0न्याया0 के निर्णय पर अपीलांटस के हस्ताक्षर भी है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलांटस को सुना नहीं गया हो । केवल वादी साक्ष्य नहीं लिये जाने के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि वादीगण/रेस्पो0 द्वारा वादपत्र में समस्त तथ्यों का अंकन कर रखा है । पत्रावली के अवलोकन से विवादित आराजियात में अपीलांटस का कोई लोकस नहीं पाया जाता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट निर्णय पारित करते हुए वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसमें हमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है । अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.4.2018 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर